न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुंतला आरएएस

मु0नं0 – 121/2021 (2021/217)

धर्मपाल पुत्र बुधराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र जुहारा जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. I राजबाला पत्नी स्व0 मेघाराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
   II ममता } पुत्रियां स्व0 मेघाराम जाति कुम्हार
   III गायत्री } निवासीगण नेठराना तहसील भादरा
   IV हेमंत पुत्र स्व0 मेघाराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
   V देवकी माता स्व0 मेघाराम पत्नि स्व0 सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. लालचन्द पुत्र सुरजा जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. I सुनहरी पत्नि स्व0 किशनाराम जाति कुम्हार निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
   II दयाराम } पुत्र पुत्रियां स्व0 किशनाराम जाति कुम्हार
   III औमप्रकाश } निवासीगण नेठराना तहसील भादरा
   IV सोनादेवी } जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
   V कमला }
5. मोमन पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा.
6. प्रतापसिंह } पुत्रान बीरबल जाति जाट निवासीगण नेठराना
7. रामसिंह } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
8. पंजाब नैशनल बैंक (ई ओबीसी) शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक नेठराना
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

वकील श्री श्रवण सहारण द्वितीय : प्रतिवादी सं0 1 ता 7

निर्णय दिनांक 26/8/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 22, 23 की 0.506 हैक्टर, मु0 नं0 63 के किला नं. 1 ता 3, 8 त 13, 18 ता 23 की कुल 3.795 हैक्टर, मु. नं. 64 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की कुल 3.036 हैक्टर, मु0 नं0 68 के किला नं. 1/1, 2, 3, 4 की 0.885 हैक्टर, मु0 नं0 69 के किला नं. 1 ता 3, की कुल 0.759 हेक्टर, इस प्रकार खाते का कुल योग 8.981 हैक्टर नहरी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

की खातेदारी दर्ज है। जिसमे वादी धर्मपाल 80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश 90 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 के पिता/पति/पुत्र स्व0 मेघाराम व प्रतिवादी संख्या 3 लालचन्द 90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के पति/पिता स्व0 किशना 180 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 मोमन 95 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 प्रतापसिंह 80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 रामसिंह 95 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। सत्यप्रति जमांबंदी संवंत 2075 से 2078 संलग्न अर्जीदावा है। यही बिनाय दावा है।

वाद भूमि शामिल खाते की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, पक्षकारान का आपस मे संयुक्त खाता होने से जमांबंदी निकलवाने मे, कृषि भूमि को समतल एवं उपजाउ बनाने मे एवं अन्य उपयोग उपभोग मे काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा करना चाहते है।

वादी व प्रतिवादीगण ने करीबन 50–60 वर्ष पूर्व आपसी सहमती से अच्छी मन्दी के हिसाब से कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया था एवं तभी से अपने अपने हिस्सा अनुसार बिना किसी रोकटोक व बाधा के उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है एवं सभी पक्षकारान ने अपनी अपनी कब्जा काश्त की भूमि को समतल एवं उपजाउ बना लिया है। सभी पक्षकारान ने अपने अपने कब्जा काश्त अनुसार ट्यूबवेल लगा रखे हैं, बिजली कनेक्शन ले रखा है, मकान वगैरह बना रखे है एवं बिना किसी विवाद के अपने अपने हिस्सा पर काबिज है।

कब्जा काश्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण ने कृषि भूमि को निम्न अनुसार आपस मे बंटवारा कर काश्त कर रहे है :–

(क) **वादी धर्मपाल के हिस्सा मे :** चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 22, की 0.253 हैक्टर नहरी, मु0 नं0 64 के किला नं. 2, 9, 12, की 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला व रास्ता, इस प्रकार कुल 80 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(ख) **प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 2/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 9/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 10, 11 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 12/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 90 हिस्सा कृषि भूमि नहरी मय रास्ता कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(ग) **प्रतिवादी सं. 2 (I ता V) राजबाला, ममता, गायत्री, हेमंत, देवकी व प्रतिवादी सख्या 3 लालचन्द के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 19/1 की 0.1265 हैक्टर, पश्चिमी पासा, किला नं. 20, 21 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, मु0 नं0 69 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 2/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 90 हिस्सा कृषि भूमि नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(घ) **प्रतिवादी सं. 4 (I ता V) सुनहरी, दयाराम, औमप्रकाश, सोनादेवी, कमला के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 2/2 की 0.1265 हैक्टर, पूर्वी पासा, किला नं. 3 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 9/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 12/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 13 व 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 19/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 22/2 की 0.1265 हेक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 23 की 0.253 हेक्टर, मु0 नं0 69 के किला नं. 2/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 3 की 0.253 हैक्टर, इस प्रकार कुल 180 हिस्सा नहरी मय रास्ता कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(ड) **प्रतिवादी संख्या 5 मोमन के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 64 के किला नं.19/2 की 0.013 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 22 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23/2 की 0.05025 हैक्टर पश्चिमी पासा, मु0 नं0 68 के किला नं0 1/1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

की 0.126 हैक्टर, किला नं. 2, 3, 4 की 0.759 हेक्टर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 95 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(च) **प्रतिवादी संख्या 6 प्रतापसिंह के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 23, की 0.253 हैक्टर नहरी, मु0 नं0 64 के किला नं. 3, 8, 13, की 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला, व रास्ता, इस प्रकार कुल 80 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है।

(छ) **प्रतिवादी संख्या 7 रामसिंह के हिस्सा मे** : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 64 के किला नं. 17, 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 19/1 की 0.240 हेक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 23/1 की 0.20275 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 95 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे है। नक्शा नजरिया संलग्न अर्जीदावा है।

प्रतिवादी सं. 2 (I ता V) राजबाला, ममता, गायत्री, हेमंत, देवकी के पति/पिता/पुत्र मेघाराम का दिनांक 29.05.2021 को देहान्त हो गया है, जिसका मृत्यू व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न अजीदावा है। राजस्व रिकार्ड मे अभी तक कृषि भूमि मेघाराम के नाम से चली आ रही है, लेकिन उनकी मृत्यू हो जाने के कारण उनके कानूनी वारिसान को दावा मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रतिवादी सं. 4 (I ता V) सुनहरी, दयाराम, औमप्रकाश, सोनादेवी, कमला पति/पिता किशनाराम का दिनांक 25.07.2020 को देहान्त हो गया है, जिसका मृत्यू व वारिस प्रमाण पत्र संलग्न अजीदावा है। राजस्व रिकार्ड मे अभी तक कृषि भूमि किशना के नाम से चली आ रही है, लेकिन उनकी मृत्यू हो जाने के कारण उनके कानूनी वारिसान को दावा मे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 8 व 9 को तर्क किया गया। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु रखी गई।

साक्ष्य वादी में वादी धर्मपाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में भूमि नक्शा नजरिया प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 एनटीआर के खाता सं0 15/43 सम्वत् 2075 से 78 प्रदर्श 2, नजरी नक्शा चक 3 एनटीआर प्रदर्श 3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व 6, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, चित्रप्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद भूमि शामिल खाते की संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण ने करीबन 50–60 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से अच्छी मन्दी के हिसाब से कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया था तभी से अपने अपने हिस्सा अनुसार बिना किसी रोकटोक व बाधा के उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है तथा बिना किसी विवाद के अपनी अपने हिस्सा की भूमि का सुधार करवाकर काश्त करते चले आ रहे है। इस बाबत पक्षकारान का राजीनामा भी हो गया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 3 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की कृषि भूमि का खाता व लगान अलग अलग कायम करवाने हेतु पेश किया है। वाद कृषि भूमि वादी धर्मपाल, औमप्रकाश, लालचन्द, मोमन, प्रतापसिंह, रामसिंह व प्रतिवादी सं0 2 (I- V) के पति/पिता मेघाराम, प्रतिवादी सं0 4 (I- V) के पति/पिता किशनाराम के नाम दर्ज है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व 6 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)।

व 7 पत्रावली में संलग्न है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 के मध्य वाद भूमि बाबत आपस में राजीनामा हो चुका है तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 22, 23 की 0.506 हैक्टर, मु0 नं0 63 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की कुल 3.795 हैक्टर, मु. नं. 64 के किला नं. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24 की कुल 3.036 हैक्टर, मु0 नं0 68 के किला नं. 1/1, 2, 3, 4 की 0.885 हैक्टर, मु0 नं0 69 के किला नं. 1 ता 3, की कुल 0.759 हेक्टर, इस प्रकार खाते का कुल योग 8.981 हैक्टर नहरी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता की खातेदारी दर्ज है, जिसमे वादी धर्मपाल 80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश 90 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 2 के पिता/पति/पुत्र स्व0 मेघाराम व प्रतिवादी संख्या 3 लालचन्द 90 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के पति/पिता स्व0 किशना 180 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 मोमन 95 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 प्रतापसिंह 80 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 रामसिंह 95 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है में मेघाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 2 (I- V) क्रमश : राजबाला, ममता, गायत्री, हेमंत, देवकी संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है एवं किशनाराम के नाम दर्ज कृषि भूमि के प्रतिवादी सं0 4 (I- V) क्रमश : सुनहरी, दयाराम, औमप्रकाश, सोनादेवी, कमला संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

तथा बाद घोषणा मुताबिक राजीनामा पक्षकारान का खाता व लगान निम्नानुसार अलग अलग कायम किया जावे :—

(क) धर्मपाल के हिस्सा मे : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 22, की 0.253 हैक्टर नहरी, मु0 नं0 64 के किला नं. 2, 9, 12, की 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला व रास्ता, इस प्रकार कुल 80 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश के हिस्सा मे : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 2/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 9/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 10, 11 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 12/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 90 हिस्सा कृषि भूमि नहरी मय रास्ता कब्जा काश्त मे रहेगी।

(ग) प्रतिवादी सं. 2 (I ता V) राजबाला, ममता, गायत्री, हेमंत, देवकी व प्रतिवादी सख्या 3 लालचन्द के हिस्सा मे चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 19/1 की 0.1265 हैक्टर, पश्चिमी पासा, किला नं. 20, 21 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा, मु0 नं0 69 के किला नं. 1 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 2/1 की 0.1265 हैक्टर पश्चिमी पासा इस प्रकार कुल 90 हिस्सा नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

(घ) प्रतिवादी सं. 4 (I ता V) सुनहरी, दयाराम, औमप्रकाश, सोनादेवी, कमला के हिस्सा मे : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 63 के किला नं. 2/2 की 0.1265 हैक्टर, पूर्वी पासा, किला नं. 3 व 8 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 9/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 12/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 13 व 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 19/2 की 0.1265 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 22/2 की 0.1265 हेक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 23 की 0.253 हेक्टर, मु0 नं0 69 के किला नं. 2/2 की 0.1265

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 3 की 0.253 हैक्टर, इस प्रकार कुल 180 हिस्सा नहरी मय रास्ता कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

(ड) प्रतिवादी संख्या 5 मोमन के हिस्सा में : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 64 के किला नं.19/2 की 0.013 हैक्टर पश्चिमी पासा, किला नं. 22 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 23/2 की 0.05025 हैक्टर पश्चिमी पासा, मु0 नं0 68 के किला नं0 1/1 की 0.126 हैक्टर, किला नं. 2, 3, 4 की 0.759 हेक्टर नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 95 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

(च) प्रतिवादी संख्या 6 प्रतापसिंह के हिस्सा मे : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 49 के किला नं. 23, की 0.253 हैक्टर नहरी, मु0 नं0 64 के किला नं. 3, 8, 13, की 0.759 हैक्टर नहरी मय खाला व रास्ता, इस प्रकार कुल 80 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

(छ) प्रतिवादी संख्या 7 रामसिंह के हिस्सा मे : चक 3 एन टी आर के खाता संख्या 15/43 के मु0 नं0 64 के किला नं. 17, 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 19/1 की 0.240 हेक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 23/1 की 0.20275 हैक्टर पूर्वी पासा, किला नं. 24 की 0.253 हैक्टर, नहरी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 95 हिस्सा कृषि भूमि कब्जा काश्त मे रहेगी।

चूंकि वाद कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक (ई ओबीसी) शाखा नेठराना के रहन है इसलिए मेघाराम व किसना के नाम दर्ज रहन उनके वारिसान के नाम यथावत् दर्ज रखा जावे एवं अन्य पक्षकारान का बैंक रहन उनके नाम यथावत् दर्ज रखा जाकर उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर पक्षकारान का खाता व लगान अलग अलग कायम किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला R.A.S.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़